भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2763

15 दिसंबर, 2021 को उत्तर के लिए

इस्पात उत्पादन को बढ़ाने हेतु उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना

2763. श्री मनोज तिवारी:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार/भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का विचार देश में इस्पात का उत्पादन बढ़ाने हेतु विशिष्ट इस्पात हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) में निवेश करने का है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सेल ने योजना के दिशानिदेशों का मूल्यांकन किया है तथा इसमें किए जाने वाले निवेश के संबंध में निष्कर्ष पर पहुंची है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम रहे;

(ग) क्या सरकार ने योजना के अंतर्गत निवेश करने वाले इच्छुक पक्षकारों से आवेदन माँगे हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या किसी अन्य देश या विदेश स्थित इस्पात कंपनी ने देश में उक्त योजना के अंतर्गत निवेश में रुचि दर्शाई है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन कंपनियों द्वारा कितना निवेश किया गया/किया जाने वाला है?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह)**

(क) से (घ): उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, जिसमें 5 वर्षों के दौरान जारी किए जाने वाले 6,322 करोड़ रुपये के परिव्यय से 5 व्यापक उत्पाद श्रेणियों को शामिल किया गया है, के विस्तृत दिशानिर्देश 20 अक्टूबर, 2021 को अधिसूचित किए गए हैं। इस योजना में कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत उन कंपनियों के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन की परिकल्पना की गई है, जो दिशानिर्देशों में उल्लिखित आवेदन प्रक्रिया के जरिए अर्हता प्राप्त करती हैं तथा प्रत्येक उत्पाद उप-श्रेणी के लिए निर्धारित प्रतिबद्ध वृद्धिशील उत्पादन हासिल करती हैं और आवेदित उप-श्रेणी उत्पाद का विनिर्माण करने के लिए नई क्षमता सृजित करने में न्यूनतम निर्धारित निवेश करती हैं। मंत्रालय ने 25 अक्टूबर, 2021 को इस योजना पर एक संगोष्ठी आयोजित की, जिसमें सेल सहित सभी प्रमुख घरेलू इस्पात कंपनियों ने हिस्सा लिया था। सेल सहित विभिन्न कंपनियों द्वारा निवेश संबंधी निर्णय वाणिज्यिक सोच-विचारों और बाजार की गतिशीलता के आधार पर लिए जाते हैं। इच्छुक पक्षों से आवेदनों को आमंत्रित करने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की गई हैं।

****